Seventeenth Loksabha

>

Title: Introduction of the Factoring Regulation (Amendment) Bill, 2020.

माननीय अध्यक्ष: आईटम नंबर – 18.

श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Factoring Regulation Act, 2011.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि फेक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।" <u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I introduce the Bill.

1/2

_

12.32 ½ hrs